

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद छ0ग0

कं0 280/2017

खेरथा दिनांक 16/10/2017

प्रति,


श्री अमित अग्रवाल


विषय- अतिथि व्याख्याता विषय कार्यालय में अध्यापन की अनुमति ।  
संदर्भ- इस कार्यालय का विज्ञापन कं0 130 दिनांक 3/7/2017

शासन के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में गुणानुक्रम के आधार पर विषय कार्यालय में अतिथि व्याख्याता के रूप में पत्र/सूचना प्राप्ति दिनांक से 03 दिवस के अंतर्गत अध्यापन की अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

1. आपकी अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में सिर्फ अतिथि व्याख्याता के रूप में रहेगी । विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे ।
2. आपको शिक्षकीय कार्य के लिए 40/45 गिनट व्याख्यान के लिए 200/- रू0 प्रति व्याख्यान अधिकतम 04 व्याख्यान प्रति दिवस अथवा अधिकतम प्रतिमाह 20800/- रू0 का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा ।
3. अनुमति पत्र प्राप्त होते ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे । 03 दिवस के अंतर्गत उपस्थित नहीं होने पर यह माना जावेगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एवं आपकी अनुमति स्वमेव समाप्त मानकर अगले कम के अभ्यर्थियों को अनुमति दी जा सकेगी ।
4. कार्य पर उपस्थित होते समय समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।
5. यह अनुमति सत्र 2017-18 में 28 फरवरी 2018 तक रहेगी अथवा शासन द्वारा रिक्त पर पर नियमित सहायक प्राध्यापक के पदांकन तक रहेगी । आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।
6. उपस्थिति के समय आपको शासन के निर्देशानुसार कहीं भी कोई शासकीय/गैरशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. शासन के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार बिना पूर्वसूचना के 03 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर सेवा पृथक माना जावेगा ।



  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

  
(डॉ0 आलोक मिश्रा)  
प्राचार्य  
शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद छ0ग0

कॉ 196 / 201

प्रति

विनीता राजश्री  
वार्ड नं. 04 नारायण दास, गली  
नया दाबा, राजनांदगाव

विषय- अतिथि व्याख्याता विषय अंग्रेजी में अध्यापन की अनुमति ।  
संदर्भ- इस कार्यालय का विज्ञापन क्र० 113 दिनांक 07/07/2018

अंग्रेजी शारंग के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में गुणानुक्रम के आधार पर विषय अंग्रेजी में अतिथि व्याख्याता के रूप में पत्र/सूचना प्राप्ति दिनांक से 03 दिवस के अंतर्गत अध्यापन की अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

1. आपको अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में सिर्फ अतिथि व्याख्याता के रूप में रहेगा । विधि विहित प्रक्रिया के अंतर्गत लाकर सबके सही माने जायेगा ।
2. आपको शिक्षकीय कार्य के लिए 40/45 दिन का संचालन के लिए 200/- रु० प्रति व्याख्यान अतिथि व्याख्याता 04 व्याख्यान प्रति दिवस अथवा अधिकतम प्रतिमाह 2000/- रु० का मानदण्ड मुमाकम किया जा सकेगा ।
3. अनुमति पत्र प्राप्त होने ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे । 03 दिवस के अंतर्गत उपस्थित नहीं हान पर यह माना जावेगा कि आप कार्य करने के दृष्टिकोण से एव आपकी अनुमति स्वयं से नकार करके काम के अकार्यियों को अनुमति दी जा सकेगी ।
4. कार्य पर उपस्थित होत समय समस्त अभिवृत्तियों की मूल प्रति उपलब्ध कराने पर प्रस्तुत करना ।
5. यह अनुमति सत्र 2018-19 में फरवरी 2019 तक रहेगी अथवा शारंग द्वारा रिकॉर्ड पर पर नियमित सहायक प्राध्यापक के पदावनत तक रहेगा । आवश्यकता पटने पर नियमानुसार अर्थात् में वृद्धि की जा सकेगी ।
6. उपस्थिति के समय आपको शारंग के निर्देशानुसार कभी भी कोई शासकीय/शासनादेश, संस्था में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. शारंग के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार बिना पूर्वसूचना के 03 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर सेवा पृथक माना जावेगा ।



*Dennis*  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

(अति. अध्यापक विभाग)

प्राचार्य,  
शासकीय महाविद्यालय, खेरथा  
जिला-बालोद (छ०ग०)

प्रति,

श्रीमान् प्राचार्य महोदय  
शांते महा विद्या  
जिला - बालोड (छ.ग.)

विषय - अतिथि (गाठपना (राजनीतिशास्त्र) के रूप में  
अहलापन कार्य हेतु सत्र 2014-20 में कार्यकार  
प्रदान करने की अनुमति वांछित।

महोदयजी,

विद्यमानतः इति जिला प्रांत में कि  
आपके महाविद्यालय में माननीय उच्च-प्राथम्य  
द्वारा नियुक्ति अर्थात् 2018-19 में जो 2018-19  
में आपके महाविद्यालय में अहलापन-अहलापनका  
कार्य किया था।

अतः आपने अनुशेष है कि  
मेरे पद के लिए पिछले वर्ष की तरह वर्तमान  
नियुक्ति कठिना न बिकालने हुए सत्र 2014-20  
में अहलापन-अहलापन कार्य हेतु अनुमति प्रदान करी  
ए-प्रकार।

आपका

5/9/2014



Dr

डॉ० यशकु कुपा गजपति

Dr

अतिथि (गाठपना

Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

राजनीतिशास्त्र

9424663027

प्रति,

प्राचार्य जी,  
शासकीय महाविद्यालय खेरवा,  
जिला - बालोद (छ.ग.)

विषय :- अतिथि व्याख्याता (विषय - वनस्पति शास्त्र) के  
रूप में अध्यापन कार्य हेतु सत्र 2019-20 में  
कार्यभार प्रदान करने की अनुमति आवेक,  
महोदय जी,

विषयांतर्गत लेख है कि आपके  
महाविद्यालय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा  
नियुक्ति यथावत् रखी है, जो 20-18-19 में  
आप के महाविद्यालय में अध्यापन कार्य किया  
गया था।

अतः आप से अनुरोध है कि मेरे  
पद के विरुद्ध पिछले वर्ष की तरह वर्तमान  
नियुक्ति आवेक न निकालते हुए सत्र 2019-20  
में अध्यापन कार्य हेतु अनुमति प्रदान करें।

आपका धन्यवाद।

दिनांक  
5/9/2019



प्रमुख  
प्राचार्य  
अतिथि व्याख्याता  
नाम - यामिनी झाड़ू  
विषय - वनस्पति शास्त्र  
मो० - 9131578851

Princi.  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय खेरथा जिला-बालोद छ0ग0

कं0 144 / 201

खेरथा दिनांक 02/08/201

प्रति,


श्री. कोरस राम रावटे  
S/O श्री. तिलोचन रावटे  
ग्राम भागीवती पो-गो.क.गो.  
वि.स. हरीया त्थिका खालोदगो.

विषय- अतिथि व्याख्याता विषय शासकीय विद्या में अध्यापन की अनुमति ।  
संदर्भ- इस कार्यालय का विज्ञापन कं0 117 दिनांक 07/04/2018

शासन के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में प्राप्त आवेदन में गुणानुक्रम के आधार पर विषय शासकीय विद्या में अतिथि व्याख्याता के रूप में पत्र/सूचना प्राप्त दिनांक से 03 दिवस के अंतर्गत अध्यापन की अनुमति निम्न शर्त के आधार पर प्रदान की जाती है ।

1. आपकी अध्यापन अनुमति महाविद्यालय में सिर्फ अतिथि व्याख्याता के रूप में रहेगी । विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक सेवक नहीं माने जायेंगे ।
2. आपको शिक्षकीय कार्य के लिए 40 / 45 मिनट व्याख्यान के लिए 200/- रु0 प्रति व्याख्यान अधिकतम 04 व्याख्यान प्रति दिवस अथवा अधिकतम प्रतिमाह 20800/- रु0 का मानदेय भुगतान किया जा सकेगा ।
3. अनुमति पत्र प्राप्त होते ही अपने कर्तव्य पर उपस्थित होंगे । 03 दिवस के अंतर्गत उपस्थित नहीं होने पर यह माना जावेगा कि आप कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं एव आपकी अनुमति स्वमेव समाप्त मानकर अगले क्रम के अभ्यर्थियों को अनुमति दी जा सकेगी ।
4. कार्य पर उपस्थित होते समय समस्त अभिलेखों की मूल प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।
5. यह अनुमति सत्र 2018-19 में 02 फरवरी 2019 तक रहेगी अथवा शासन द्वारा रिक्त पर पर नियमित सहायक प्राध्यापक के पदांकन तक रहेगी । आवश्यकता पडने पर नियमानुसार अवधि में वृद्धि की जा सकेगी ।
6. उपस्थिति के समय आपको शासन के निर्देशानुसार कहीं भी कोई शासकीय/ गैरशासकीय संस्था में कार्यरत नहीं होने का तथा पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने का प्रमाण पत्र नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
7. शासन के निर्देशानुसार अवकाश के अलावा अन्य कोई अवकाश की पात्रता नहीं होगी । लगातार बिना पूर्वसूचना के 03 दिवस तक अनुपस्थित रहने पर सेवा पृथक माना जावेगा ।



  
Principal,  
Govt. College, Khertha  
Distt. Balod (C.G.)

  
(डॉ0 आलोक मिश्रा)

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय खेरथा  
जिला-बालोद छ0ग0